310 of 2017 B.A

THE COURT

	and the	
Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
	a Z	necessary
	Z A	
30/08/2017	आवेदिका मीरा बाई द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता	
03:00 P.M	उप0। राज्य दारा श्री बीएस बहोल अतिरिक्त लोक अभियोजक	
to	राज्य क्षारा जा या.र्स. ययस जातारपत साम जागवाजय	
03:15 P.m.	3401	
A	थाना मौ के अपराध कमांक 94 / 16 की कैफियत व	
A a	केस डायरी, अधीनस्थ न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण	
AN ON	कमांक 512 / 16 (मीराबाई के संबंध में पूरक चालन) प्राप्त तथा	
N. Carlotte	इस न्यायालय के सत्र प्रकरण कमांक 301 / 16 उनवान राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ बनाम अरविन्द एवं अन्य धारा—498ए,	
121	304बी भा0दं०स० एवं धारा—4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मूल	
	अभिलेख निकलवाया गया।	
	आवेदिका के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439	
	दं०प्र०सं० के साथ आवेदिका के पुत्र धर्मेन्द्र का शपथपत्र प्रस्तुत	
	किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है	0 201
	कि यह आवेदिका का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–439	Α.
	दं०प्र0सं० है। इसके अतिरिक्त इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन	The same of the sa
	इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के	5.
	समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निराकृत हुआ है	
	और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही केश डायरी से स्पष्ट है।	
	आवेदिका के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439	
	दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए 🃉 📈	
	आवेदिका की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने	
	कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूंठा फंसाया गया है। संबंधित	
	सत्र प्रकरण क्रमांक 301 / 16 में मृतिका मनीषा के पिता सुरेश	
	सिंह, मां पुत्ती बाई, भाई बादाम सिंह, चाचा लल्ली सिंह, चचेरे	
	भाई बृजेन्द्र सिंह, चाचा भूरे सिंह आदि ने अभियोजन का कोई	
	समर्थन नहीं किया है। इस प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई	
	साक्ष्य नहीं है। आवेदिका पर्दानशीं वृद्ध महिला है तथा 12 दिवस	
	से निरोध में हैं। सहअभियुक्त अरविन्द की नियमित जमानत हो	
	चुकी है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की	
	प्रार्थना की गई है।	
	राज्य की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया	
	है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।	
	उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी तथा	

सत्र प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार सुरेश सिंह की पुत्री मनीषा का विवाह चार वर्ष पहले अभियुक्त अरविन्द के साथ हुआ था। एक साल बाद से पित अरविन्द एवं सास मीरा एक लाख रूपए एवं मोटरसाइकिल की मांग करने लगे तथा वे उसे मारपीट कर परेशान करते थे, खाना पीना समय पर नहीं देते थे। उक्त प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक 15.04.16 को मनीषा ने अपनी ससुराल ग्राम उझावल में फांसी लगा ली।

जिसकी सूचना पुलिस को देने पर मर्ग कायमी की गई। मर्ग जांच में अरविन्द एवं मीरा बाई के द्वारा दहेज की मांग को लेकर मनीषा को प्रताड़ित करने से मनीषा की सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु होना पाए जाने पर अपराध क्रमांक 94/17 अंतर्गत धारा—304बी एवं 34 भा0दं0सं0 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

आवेदिका की ओर से समानता का आधार लिया गया है। परंतु मीराबाई सास है और अरविन्द पति है, जहां तक कि साक्षियों के समर्थन न करने का प्रश्न है, जमानत के इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा न्यायालये में प्रस्तुत की गई साक्ष्य के गुणदोषों पर विचार नहीं किया जा सकता है। मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी थाना मौ की ओर वापस भेजी जावे।

आदेश की सत्यप्रतिलिपि सत्र प्रकरण क्रमांक 301 / 16 में संलग्न की जावे।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड